कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर

दिनांकः 12.01.2018

प्रेस–नोट

- **केस ऑफिसर स्कीम में चिन्हित प्रकरण में मुलजिम को आजीवन कारावास व 25,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।**

पुलिस थाना मौलासर पर दर्ज प्रकरण सँख्या 159/ 8.10.13 धारा 376(2)(एफ) भादस व 3/4, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012 में मुलजिम मोतीराम पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी बावड़ी के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश कर प्रकरण में कठोर सजा दिलवाने हेतु उक्त प्रकरण को दिनांक 09.07.2012 को केस ऑफिसर स्कीम के तहत चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक जिला नागौर श्री परिस देशमुख द्वारा केस ऑफिसर को प्रभावी पैरवी कर अपराधी को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के निर्देश दिये गये। केस ऑफिसर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 12.01.2018 को न्यायालय द्वारा उक्त अपराधी को आजीवन कारावास व 25,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

————————————————